



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22072021-228425
CG-MH-E-22072021-228425

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]
No. 295]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943

भारतीय जीवन बीमा निगम
अधिसूचना
मुंबई, 22 जुलाई, 2021

फा.सं. I-13011/03/2021-बीमा.İ.—बोर्ड, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जीवन बीमा निगम विनियम, 1959 को अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम को बनाता है, अर्थात्:-

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है; (ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (ग) "कंपनी सचिव" से एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अंतर्गत गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और जो निगम के सचिवालीय कार्य का प्रमुख है अभिप्रेत है;
- (घ) "निक्षेपागार अधिनियम" से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अभिप्रेत है;
- (ङ.) "निक्षेपागार और प्रतिभागी विनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निक्षेपागार और प्रतिभागियों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) और निक्षेपागार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;
- (च) "प्रारूप प्रस्तावक दस्तावेज" से पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन एक सार्वजनिक मुद्दे के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में दायर प्रारूप प्रस्तावक दस्तावेज अभिप्रेत हैं;
- (छ) भारत में निगमित और प्राधिकरण द्वारा विनियमित जीवन वीमा कंपनियों के संबंध में "अंतर्निहित मूल्य" का वही अर्थ होगा जैसा कि वीमांक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 3 के अधीन गठित भरतीय वीमांक संस्थान द्वारा जारी मानक वीमांक पद्धति में निर्धारित किया गया हो;
- (ज) "प्रपत्र" से इन विनियमों के साथ संलग्न किया गया प्रपत्र अभिप्रेत है;
- (झ) "किसी मामले के संबंध में रजिस्ट्रार" का वही अर्थ होगा जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किसी मामले के संबंध में और शेयर अंतरक एजेंट के संबंध में रजिस्ट्रार से संबंधित बनाया गया विनियम;
- (ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ट) "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "शेयर अंतरक एजेंट" का वही अर्थ होगा जैसा कि किसी मामले के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरक एजेंट के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में दिया गया हो।

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों और जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया हो।

भाग I

बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें

3. बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकें आयोजित करने की पद्धति- (1) बोर्ड की बैठकों के संबंध में अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में निगम के ज्येष्ठतम् पूर्णकालिक निदेशक और बोर्ड की किसी समिति की बैठकों के संबंध में ऐसा व्यक्ति जिसे बोर्ड ने समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, बोर्ड या उसकी समिति की बैठकों की तारीख, समय और स्थान, जैसा भी मामला हो, तय करेगा, और इसकी कार्य-सूची की मदों को अनुमोदित करेगा।

(2) बैठकों के लिए नोटिस कंपनी सचिव द्वारा जारी किया जाएगा या, यदि कोई कंपनी सचिव न हो, तो इसे बोर्ड द्वारा अधिकृत निगम का किसी निदेशक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम् पूर्णकालिक निदेशक, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(4) बोर्ड की समिति का अध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई अन्य निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) निगम, बोर्ड और इसकी समितियों के संबंध में ऐसे सचिवालीय मानकों का पालन करेगा, जो कंपनी अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (10) के अधीन कंपनी की बोर्ड की बैठकों के संबंध में प्रयोज्य हो, जैसाकि इस अधिनियम

में अन्यथा उपवांशित है उसके सिवाय, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में इसका उपबंध किया गया हो।

भाग II

पूंजी, शेयर, अन्य प्रतिभूतियाँ और निगम के सदस्य

4. शेयर पूंजी के प्रकार और स्वरूप- निगम की शेयर पूंजी उस प्रकार की होगी जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 43 में किसी कंपनी के संबंध में उपबंधित हो, जहां तक ये कंपनी अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों:

परंतु यह कि उक्त धारा के खण्ड (क) के उपखंड (ii) के उपबंध निगम की शेयर पूंजी के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5. शेरों और डिबेंचर का स्वरूप-निगम में किसी भी सदस्य के शेयर, डिबेंचर और अन्य हित विनियम 11 में उपबंधित पद्धति में उचित तौर पर हस्तांतरणीय चल संपत्ति होगी।

6. प्रतिभूतियों को जारी करने की पद्धति- (1) निक्षेपागार अधिनियम और निक्षेपागार एवं सहभागी विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए निगम प्रतिभूतियों को मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में जारी कर सकता है।

(2) जहां निगम भौतिक रूप में कोई प्रतिभूति जारी करता है, ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करना उन आवश्यकताओं के अनुसार होगा जैसा कि बोर्ड इस संबंध में निर्दिष्ट करे, जिसमें प्रतिभूति जारीकर्ता प्राधिकारी, इसका प्ररूप, निगम की ओर से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की पद्धति, कोरे प्रमाणपत्रों की छपाई और अभिरक्षा एवं द्विप्रतिक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का उल्लेख हो।

(3) निगम किसी मामले के लिए रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरक एजेंट की नियुक्ति करेगा और किसी मामले के रजिस्ट्रार या शेयर अंतरक एजेंट, जैसा भी मामला हो और अमूर्त रूप में जारी प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार के साथ त्रिपक्षीय समझौता करेगा।

7. पद्धति तथा शर्तों के संबंध में अन्य उपबंध जिसके अधीन शेयर जारी किए जा सकते हैं—(1) निगम, धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को प्रदान की गई चुकता इक्विटी पूंजी के लिए केंद्रीय सरकार को इक्विटी शेयर जारी करेगा।

(2) धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम समय-समय पर सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या अधिमान आवंटन या निजी स्थानन या इक्विटी शेयर रखने वाले मौजूदा सदस्यों को बोनस शेयर जारी करके या शेयर आधारित कर्मचारी लाभ योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को शेयर जारी करके या निगम के जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को शेयर जारी करके या अन्य प्रकार से इक्विटी शेयर जारी करेगा।

परंतु यह कि निगम द्वारा अपने सदस्यों को बोनस शेयर केवल अपने फ्री रिजर्व या शेयर प्रीमियम खाते में से जारी किए जा सकते हैं और संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करके सृजित रिजर्व को पूंजीकृत करके बोनस शेयर जारी नहीं किए जाएँगे:

परंतु यह कि यदि निगम इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक निर्गम करने का प्रस्ताव करता है, तो वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ अपना मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पहले प्राधिकरण से उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो (इस संबंध में बोर्ड के संकल्प के द्वारा अधिप्रमाणित प्रति द्वारा समर्थित), के लिए अनुरोध करेगा, निम्नलिखित पहलुओं पर विवरण प्रस्तुत करते समय पूंजी जारी करने संबंधी बीमा विनियमों के अधीन जीवन बीमा कारोबार करने वाली एक आवेदक भारतीय बीमा कंपनी के लिए उपबंधित फॉर्म में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(क) इसकी समग्र वित्तीय स्थिति एक स्वतंत्र बीमांक द्वारा मूल्यांकित किए गए अनुसार पूंजी संरचना के पूर्व और पश्चात् निगम और अंतर्निहित मूल्य;

(ख) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन और पॉलिसीधारक संरक्षण पर आवश्यक शोधन क्षमता के नियंत्रण स्तर को बनाए रखने के संबंध में इसका रिकॉर्ड;

(ग) निगम के लिए प्रयोज्य बीमा विनियमों के अनुपालन का इसका रिकॉर्ड;

(घ) इस संबंध में प्राधिकरण के किसी भी परिपत्र के अधीन सार्वजनिक प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति, जहां तक ऐसा परिपत्र निगम पर लागू होता है:

परंतु यह भी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के समक्ष मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज दर्ज करते समय, निगम-

(i) प्राधिकरण द्वारा जारी टिप्पणियों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें प्रकटीकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हैं;

(ii) निगम के लिए विशिष्ट जोखिम कारकों, इसकी समितियों, प्रमुख प्रबंधकों, निवेशकों, प्रमोटरों और वित्तीय विवरणों, मामले का विवरण, बीमा उद्योग का पर्यावलोकन, उद्योग से संबंधित शर्तों तथा कानून तथा अन्य सूचना, जो जीवन बीमा कारोबार करने वाली भारतीय बीमा कंपनी के संबंध में पूँजी जारी करने संबंधी बीमा विनियमों में विविर्दिष्ट हो।

8. शेयरों की मांग और मांग न की गई अदत्त शेयर पूँजी की स्वीकृति — निगम, बोर्ड के अनुमोदन से, किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित शेयरों पर बकाया किसी भी राशि के संबंध में आगे की शेयर पूँजी की मांग कर सकता है और उससे पूरी या आंशिक राशि भी स्वीकार कर सकता है, भले ही कंपनी अधिनियम की धारा 49 और 50 तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (6) और (7) के साथ पठित अनुसूची I की सारणी च में निर्दिष्ट मॉडल अनुच्छेद 13 से 18 के अधीन कंपनी के संबंध में प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार राशि की मांग न की गई हो।

9. सदस्य द्वारा नामांकन की पद्धति — सदस्य, शेयर पूँजी और डिवेंचर के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 72 के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के प्रतिभूति धारकों द्वारा नामित किए जाने के संबंध में धारा 53 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्ररूप 'क' में नामित कर सकता है और इस संबंध में कोई परिवर्तन अथवा इसे रद्द करने का अनुरोध प्ररूप 'ख' में कर सकता है।

10. शेयर को जब्त करना — कोई सदस्य, जो भुगतान के लिए नियत दिन पर किसी भी मांग या किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कंपनी अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (6) और (7) के साथ पठित उक्त अनुसूची I की सारणी च में निर्दिष्ट मॉडल अनुच्छेद 28 से 34 के अंतर्गत कंपनी के शेयर के लिए उपबंधित किए गए अनुसार बोर्ड द्वारा समान परिस्थितियों में और समान तरीके से और समान शर्तों के अधीन उसके शेयर को जब्त किया जा सकता है और बेचा अथवा अन्यथा निपटान किया जा सकता है।

11. प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा पारेषण या पक्षांतरण करना - (1) प्रतिभूतियों के अंतरण के संबंधी कार्यकलापों के लिए निगम शेयर अंतरक एजेंट की नियुक्ति करेगा अथवा प्रतिभूतियों के अंतरण की आंतरिक सुविधा तैयार करेगा:

परंतु यह कि आंतरिक प्रतिभूति अंतरण के मामले में, जब निगम के प्रतिभूति धारकों की कुल संख्या एक लाख से अधिक हो, तो निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को किसी मामले के संबंध में रजिस्ट्रार या निगम का शेयर अंतरक एजेंट नियुक्त करेगा।

(2) बोर्ड प्रतिभूतियों के अंतरण की शक्ति किसी समिति या निगम के अनुपालन अधिकारी को या किसी मामले के रजिस्ट्रार को या शेयर अंतरक एजेंट को प्रतिभूति के अंतरण की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है:

परन्तु यह कि बोर्ड या ऐसी समिति या अधिकारी या रजिस्ट्रार या एजेंट प्रतिभूतियों के अंतरण के संबंध में औपचारिकताओं को 15 दिन में कम से कम एक बार करता हो।

परंतु यह कि समिति या अधिकारी या रजिस्ट्रार या एजेंट, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या उसकी समिति को उसकी प्रत्येक बैठक में प्रतिभूतियों के अंतरण की रिपोर्ट करेगा।

(3) निगम की प्रतिभूतियों का अंतरण और पारेषण को उसी पद्धति में किया जाएगा जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) से (5) में कंपनी के संबंध में उपबंध किया गया हो।

परन्तु ऐसे अंतरण के संबंध में अंतरण के लिखत को अंतरक तथा अंतरिती द्वारा अथवा उनकी ओर से उसी रूप में किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा विविर्दिष्ट किया जाए।

(4) निगम आंशिक रूप से चुकता शेयर को रजिस्ट्रीकृत या अंतरित तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्ररूप में अंतरिती को नोटिस न दिया हो और अंतरिती ने नोटिस प्राप्त करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर ऐसे अंतरण के संबंध में कोई अनापत्ति न दी हो।

12. रजिस्टरों के रख-रखाव तथा अनुरक्षण की पद्धति: निगम अपने सदस्यों के संबंध में धारा 5ब की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्टरों को प्ररूप 'ग' में और ऋणपत्र धारकों या प्रतिभूति धारकों के संबंध में रजिस्टर को प्ररूप 'घ' में उसी प्रकार रखेगा, जैसा कि कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 88 के अधीन बनाए गए नियमों में कंपनी के ऐसे प्रतिभूति धारकों के लिए उपबंधित किया गया हो, इसमें शामिल किए जाने वाले नामों के सूची संबंधी रजिस्टर, ऐसे रजिस्ट्रों में प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन और इनकी प्रतियों को बंद करना, जांच करना तथा इनकी आपूर्ति करना शामिल है।

परन्तु यह कि सदस्यों तथा प्रत्येक प्रकार के ऋणपत्र धारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जाएंगे।

13. लाभांश – निगम प्रत्येक शेयर के संबंध में प्रदत्त राशि के अनुपात में लाभांश का भुगतान करेगा।

भाग 3 विविध

14. पद्धति और प्ररूप जिसमें निगम के लिए बाध्यकारी अनुबंधों को निष्पादित किया जाएगा – (1) निगम की ओर से किए जाने वाले अनुबंध को लिखित में किया जाएगा, प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उसी रूप में व्यक्त अथवा सूचित किया जाएगा तथा परिवर्तित अथवा निस्सरित किया जाएगा।

(2) इस विनियम के उपबंधों के अनुसार बनाए गए सभी अनुबंध वैध और निगम पर बाध्यकारी होंगे।

15. निगम के खाते, रसीद और दस्तावेज पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा – निगम के पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव और वित्तीय कृत्य के प्रमुख, जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाए तथा निगम के ऐसे अन्य अधिकारी, जिसे मुख्य कार्यपालक द्वारा इस निमित उस सीमा तक या ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, के अध्यधीन प्राधिकृत किया जाए, जैसा कि निगम के संबंध में या उसकी ओर से विनिर्दिष्ट या अधिरोपित हो,-

(क) वचन पत्र, स्टॉक रसीद, स्टॉक, ऋणपत्र, शेयर, प्रतिभूतियों और माल के हक के दस्तावेज, जो निगम के नाम से हो या निगम द्वारा धारित हो, का पृष्ठांकन करना तथा अंतरित करना;

(ख) निगम के वर्तमान और प्राधिकृत व्यवसाय में विनियम और अन्य लिखितों के बिलों को आहरित करना, स्वीकारना और पृष्ठांकन करना;

(ग) बीमा पालिसियां जारी करना; और

(घ) उपर्युक्त से संबंधित सभी लेखा, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

16. वाद पत्र पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं – वाद पत्र, लिखित कथन, प्रत्युत्तर, शिकायतें, याचिकाएं, आवेदन, शपथ-पत्र, वकालतनामा और कानूनी कार्रवाई से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों को विनियम 15 के द्वारा या इसके अधीन अधिकार प्राप्त किसी अधिकारी द्वारा निगम की ओर से हस्ताक्षर किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा तथा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष निगम की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा।

17. इलेक्ट्रानिक रिकार्ड और इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर का प्रयोग – इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर –

(क) किसी अनुबंध को तैयार करना, परिवर्तित करना या पालन करना, नामांकन को बदलने या रद्द करने या नोटिस देने या रजिस्टर का रख-रखाव करने, अंतरण लिखत या अन्य दस्तावेज को लागू करने की पुष्टि तब होगी, जब इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित किए गए अनुसार इन्हें इलेक्ट्रानिक अभिलेख के प्ररूप में तैयार किया गया हो, परिवर्तित किया गया हो, पालन किया गया हो या अनुरक्षण किया गया हो।

(ख) किसी अनुबंध, नामांकन या उसको बदलने या रद्दकरण करने संबंधी प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस दस्तावेज, लिखत या अंतरण को रजिस्टर तभी कर सकेगा, यदि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित उन पर उसके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है।

प्ररूप 'क'

सदस्य द्वारा नामांकन

[विनियम 9 देखें]

भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई - 400 021	शेयर	फोलियो संख्या	शेयरों की संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या		
	तारीख:	दि.	दि.	माह	माह	वर्ष	वर्ष

<input type="checkbox"/> मैं/हम नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार नामांकन देना चाहता हूं/चाहते हैं:

नामांकन व्यौरे

मैं/हम नामांकन देना चाहता हूं/चाहते हैं और निम्नलिखित व्यक्ति को एतद्वारा नामांकित करें, जिसमें मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा धारित शेयरों के संबंध में देय सभी अधिकार और या रकम निहित होगी।

खाते में तीन नामनिर्देशिती के लिए नामांकन किया जा सकता है		पहला नामनिर्देशिती	दूसरा नामनिर्देशिती	तीसरा नामनिर्देशिती
1	नामनिर्देशिती का नाम (श्री/श्रीमती)			
2	आवेदक से संबंध (यदि कोई हो)			
3	प्रत्येक नामनिर्देशिती का शेयर:	<input type="checkbox"/> समान रूप से	%	%
	[यदि समान नहीं है तो कृपया प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करें]	[विभाजन के पश्चात कोई अतिरिक्त हिस्सा प्ररूप में उल्लिखित पहले नामनिर्देशिती को अंतरित किया जाएगा]		

4	नामनिर्देशिती का पता:			
	नगर/शहर/गांव:			
	पिनकोड़:			
	राज्य:			
5	देश:			
	नामनिर्देशिती का विवरण:			
	दूरभाष सं (आवास)/(कार्यालय)			
	व्यवसाय:			
	मोबाइल नंम्बर:			
	ई-मेल पता:			

नामनिर्देशिती का पहचान विवरण:

[कृपया नीचे उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक पर चिह्न लगाएं और उससे संबंधित व्यौरा प्रदान करें]

	नामनिर्देशिती 1	नामनिर्देशिती 2	नामनिर्देशिती 3
	फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर आर-पार करें:		
	हस्ताक्षर:		
	आयकर स्थायी खाता संख्या		
<input type="checkbox"/>	आधार संख्या:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	बचत बैंक खाता संख्या:		
<input type="checkbox"/>	पहचान का प्रमाण:		
<input type="checkbox"/>	डीमैट खाता आईडी:		

क्रम सं. 6 से 11 में अभिभावक का व्यौरा भरा जाए, यदि नामांकित अवयस्क हो:

6	जन्म तिथि (नामिती के अवयस्क होने के मामले में):		
7	अभिभावक का नाम (श्री/सुश्री):		
8	अभिभावक का नामांकित		

	के साथ संबंध:			
9	अभिभावक का पता:			
	शहर/कस्बा/गांव:			
	पिन कोड:			
10	अभिभावक का संपर्क व्यौरा:			
	दूरभाष संख्या (आवासीय/कार्यालय):			
	मोबाईल नम्बर:			
	ई-मेल पता:			
11	अभिभावक की पहचान का व्यौरा:			
	[कृपया नीचे उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक पर चिह्न लगाएं और उससे संबंधित व्यौरे प्रदान करें]			
	यदि पहला नामनिर्देशिती अवयस्क हो	यदि दूसरा नामनिर्देशिती अवयस्क हो	यदि तीसरा नामनिर्देशिती अवयस्क हो	
<input type="checkbox"/>	फोटोग्राफ पर आर-पार हस्ताक्षर करें:			
<input type="checkbox"/>	हस्ताक्षर			
<input type="checkbox"/>	आयकर स्थायी खाता संख्या			
<input type="checkbox"/>	आधार संख्या:			
<input type="checkbox"/>	बचत बैंक खाता संख्या:			
<input type="checkbox"/>	पहचान का प्रमाण:			
<input type="checkbox"/>	डीमैट खाता आईडी:			

नाम	हस्ताक्षर	
पूर्ण/पहला धारक या अभिभावक (यदि धारक अवयस्क हो) (श्री/सुश्री)		
दूसरा धारक या अभिभावक (यदि धारक अवयस्क हो) (श्री/सुश्री)		
तीसरा धारक या अभिभावक (यदि धारक अवयस्क हो) (श्री/सुश्री)		
नामनिर्देशिती के लिए साक्ष्य संबंधी व्यौरा:		
नाम	पता	हस्ताक्षर
	तारीखः	दि. दि. माह माह वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

प्ररूप ख

नामांकन का परिवर्तन/रद्दकरण

[विनियम 9 देखें]

भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई - 400 021	शेयर	फोलियो संख्या	शेयरों की संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या	
	तारीखः	दि.	दि.	माह	माह	वर्ष

मैं / हम चाहते हैं है कि —

- नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार नया नामांकन करना:
- नामांकन को रद्द करना [नीचे दिए गए नामांकन को हटाना]:
रद्द करने पर, मेरे/हमारे द्वारा धारित शेयरों के संबंध में सभी अधिकार और देयताएं मेरे/हमारे में निहित होंगे।

नामांकन व्यौरे

मैं/हम नया नामांकन करना चाहते हैं और निम्नलिखित व्यक्ति(यों), जिसमें मेरे/हमारे द्वारा धारित शेयरों के संबंध में सभी अधिकार और/या देय रकम मेरी/हमारी मृत्यु के समय निहित होंगे, को बनाना चाहते हैं:

[खाते में तीन नामितियों का नामांकन किया जा सकता है]		पहला नामिती	दूसरा नामिती	तीसरा नामिती
1	नामितो का नाम (श्री/सुश्री):			
2	आवेदक से संबंध (यदि कोई हो):			
3	प्रत्येक नामिती को हिस्सा समान	<input type="checkbox"/> समान	%	%
[यदि समान न हो, कृपया प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करें]				[विभाजन के पश्चात् कोई अतिरिक्त हिस्सा प्ररूप में उल्लिखित पहले नामनिर्देशिती को अंतरित किया जाएगा]
4	नामिती का पता: शहर/कस्बा/गांव: पिन कोड: राज्य: देश:			
5	नामिती का व्यौरा: दरभाष संख्या (आवासीय/कार्यालय): व्यवसाय: मोबाइल नम्बर: ई-मेल पता:			

नामनिर्देशिती की पहचान का ब्यौरा:

[कृपया नीचे उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक पर चिह्न लगाएं और उससे संबंधित ब्यौरा प्रदान करें]

	नामनिर्देशिती 1	नामनिर्देशिती 2	नामनिर्देशिती 3
फोटोग्राफ पर आर-पार हस्ताक्षर करें:			
हस्ताक्षर:			
आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन):			
<input type="checkbox"/>			
आधार संख्या:			
बचत बैंक खाता संख्या:			
पहचान का प्रमाण:			
डीमैट खाता आईडी:			
क्रम सं. 6 से 11 में अभिभावक का ब्यौरा भरा जाए, यदि नामिती अवयस्क हो:			
6 जन्म तिथि (नामिती के अवयस्क होने के मामले में):			
7 अभिभावक का नाम (श्री/सुश्री):			
8 अभिभावक का नामिती के साथ संबंध:			
9 अभिभावक का पता:			
शहर/कस्बा/गांव:			
पिन कोड:			
10 अभिभावक का संपर्क ब्यौरा:			
दूरभाष संख्या			

	(आवासीय/कार्यालय):			
	मोबाईल नम्बर:			
	ई-मेल पता:			
11	अभिभावक की पहचान का व्यौरा:	[कृपया नीचे उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी एक पर चिह्न लगाएं और उससे संबंधित व्यौरा प्रदान करें]		
		यदि पहला नामनिर्देशिती अवयस्क हो	यदि दूसरा नामनिर्देशिती अवयस्क हो	यदि तीसरा नामनिर्देशिती अवयस्क हो
<input type="checkbox"/>	फोटोग्राफ पर आर-पार हस्ताक्षर करें:			
<input type="checkbox"/>	हस्ताक्षर:			
<input type="checkbox"/>	आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन):			
<input type="checkbox"/>	आधार संख्या:			
<input type="checkbox"/>	बचत बैंक खाता संख्या:			
<input type="checkbox"/>	पहचान का प्रमाण:			
	डीमैट खाता आईडी:			

नाम	हस्ताक्षर						
एकल/पहला धारक या अभिभावक (यदि धारक अवयस्क हो) (श्री/सुश्री)							
दूसरा धारक या अभिभावक (यदि धारक अवयस्क हो) (श्री/सुश्री)							
तीसरा धारक या अभिभावक (यदि धारक अवयस्क हो) (श्री/सुश्री)							
नामांकन के लिए साक्ष्य संबंधी व्यौरा:							
नाम	पता	हस्ताक्षर					
	तारीख:	दि.	दि.	माह	माह	वर्ष	वर्ष

प्ररूप ग**सदस्यों का रजिस्टर**

[विनियम 12 देखें]

(प्रत्येक श्रेणी के शेयर को अलग से बनाए रखना)

केन्द्रीय कार्यालय का पता:

शेयरों की श्रेणी (इक्विटी/अधिमान/अन्य):

प्रत्येक शेयर का न्यूनतम मूल्य (रुपए में):

कुल धारित शेयर:

फोलियो संख्या:

व्यक्तिगत ब्यौरा:

सदस्य का नाम:

अन्य संयुक्त धारकों का नाम, यदि कोई हो:

पता (या निगमित निकाय के मामले में, इसका रजिस्ट्रीकृत पता):

ई-मेल पता:

सीआईएन/रजिस्ट्रेशन संख्या:

विशिष्ट पहचान संख्या:

पिता/माता/पति या पत्नी का नाम:

शेयरधारक की श्रेणी:

व्यवसाय

आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन):

राष्ट्रीयता:

यदि सदस्य अवयस्क हो:

अभिभावक का नाम:

अवयस्क की जन्म की तारीख:

सदस्यता का ब्यौरा:

सदस्य बनने की तारीख:

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5ग के अधीन घोषणा की तारीख, यदि लागू हो:

हिताधिकारी स्वामी का नाम और पता:

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का नाम और पता:

नामांकन की प्राप्ति की तारीख, यदि लागू हो:

नामनिर्देशिती का नाम और पता:

प्रास्थगन में रखे गए शेयरों की संख्या, यदि लागू हो:

शेयरों के धारणाधिकार संबंधी अभिलेख, यदि लागू हो:

सदस्यता की समाप्ति की तारीख:

अनुदेश:

लाभांश अधिदेश, मुख्तारनामा और अन्य अनुदेशों का विवरण, यदि कोई हो:

भेजे जा रहे नोटिसों इत्यादि के लिए अनुदेश, यदि कोई हो:

शेयरधारिता का व्यौरा:

आवंटन संख्या/अंतरण संख्या	आवंटन/अंतरण की तारीख	आवंटित/अंतरित शेयरों की संख्या	विशिष्ट संख्या (दोनों सहित)		अंतरक का फोलियो, यदि लागू हो	अंतरक का नाम, यदि लागू हो
			से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

शेयर प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन या जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र संख्या	लॉक-इन अवधि, यदि कोई हो	रकम (रुपए)			यदि शेयर नगद से भिन्न विचार के लिए जारी किए जाते हैं, उसका संक्षिप्त विवरण दें
			देय	प्रदत्त/प्रदत्त मानी जाने वाली	बकाया	
(7)	(8)	(9)	(10)			(11)

अंतरण/प्रेषण/जब्ती/मोचन इत्यादि की तारीख	अंतरित/प्रेषित/जब्ती/मोचन इत्यादि किए गए शेयरों की संख्या	विशिष्ट संख्या (दोनों सहित)		अंतरिती का फोलियो	अंतरिती का नाम
		से	तक		
(12)	(13)	(14)		(15)	(16)

अतिशेष बची हुई इकाइयां (अंतरण/प्रेषण/जब्ती/मोचन इत्यादि के पश्चात)	टिप्पणियां	अधिप्रमाणन/हस्ताक्षर
(17)	(18)	(19)

प्ररूप घ

ऋणपत्र धारकों या अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर

[विनियम 12 देखें]

(प्रत्येक श्रेणी के ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियों को अलग से बनाए रखना)

केन्द्रीय कार्यालय का पता:

ऋणपत्र या अन्य प्रतिभूतियों की श्रेणी:

प्रत्येक इकाई का न्यूनतम मूल्य (रुपए में):

धारित ऋणपत्र या अन्य प्रतिभूतियों की कुल संख्या:

फोलियो संख्या:

व्यक्तिगत ब्यौरा:

ऋणपत्र धारक/अन्य प्रतिभूति धारक का नाम:

संयुक्त धारक (कों) का नाम, यदि कोई हो:

पता (या, निगमित निकाय के मामले में, इसका रजिस्ट्रीकृत पता):

ई-मेल पता:

आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन):

सीआईएन/रजिस्ट्रेशन संख्या:

विशिष्ट पहचान संख्या:

पिता/माता/पति या पत्नी का नाम:

व्यवसाय, यदि कोई हो:

राष्ट्रीयता:

यदि ऋणपत्र धारक/अन्य प्रतिभूति धारक अवयस्क हो, तो:

अभिभावक का नाम:

अवयस्क की जन्म की तारीख:

धृति का ब्यौरा:

ऋणपत्र/अन्य प्रतिभूतियों के धारक बनने की तारीख:

नामांकन की प्राप्ति की तारीख:

नामनिर्देशिती का नाम और पता:

प्रास्थगन में रखे गए ऋणपत्र/अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, यदि कोई हो:

ऋणपत्र/अन्य प्रतिभूतियों के धारणाधिकार संबंधी अभिलेख, यदि कोई हो:

ऋणपत्र/अन्य प्रतिभूतियों के धारक के रूप में समाप्ति की तारीख:

प्रतिभूतियों का ब्यौरा:

क्या ऋणपत्रों/अन्य प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान सुरक्षित है [हाँ/नहीं]:

ऐसे ऋणपत्रों/अन्य प्रतिभूतियों को सुरक्षित करने के लिए आस्तियों का संक्षिप्त विवरण:

अनुदेश:

लाभांश अधिदेश, मुख्तारनामा और अन्य अनुदेशों का विवरण, यदि कोई हो:

श्रेणीगत बैठकों आदि को नोटिस भेजने के लिए अनुदेश, यदि कोई हो:

ऋणपत्रों/अन्य प्रतिभूतियों का ब्यौरा:

आवंटन संख्या/अंतरण संख्या	आवंटन/अंतरण की तारीख	आवंटित / अंतरित डिवेंचरों / अन्य प्रतिभूतियों की संख्या	विशिष्ट संख्या (दोनों सहित)		अंतरक का फोलियो, यदि लागू हो	अंतरक का नाम, यदि लागू हो
			से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन अथवा जारी करने की	प्रमाण-पत्र संख्या	रकम (रुपए)			यदि ऋणपत्र/अन्य प्रतिभूतियां नगद से भिन्न विचार के लिए जारी किए जाते हैं, उसका संक्षिप्त
		देय	प्रदत्त/प्रदत्त मानी	बकाया	

तारीख			जाने वाली		विवरण दें
(7)	(8)		(9)		(10)

अंतरण/प्रेषण/जब्ती/ मोचन की तारीख	अंतरित/प्रेषित/जब्ती/मोचन किए गए इकाईयों की संख्या	विशिष्ट संख्या (दोनों सहित)		अंतरिती का फोलियो	अंतरिती का नाम
		से	तक		
(11)	(12)	(13)		(14)	(15)

अतिशेष बची हुई इकाईयां (अंतरण/प्रेषण/जब्ती/मोचन इत्यादि के पश्चात्)	टिप्पणियां	अधिप्रमाणन/हस्ताक्षर
(16)	(17)	(18)

मुकेश कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./161/2021-22]

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22 July, 2021

F. No.I-13011/03/2021-Ins.I.—In exercise of the powers conferred by section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) and in supersession of the Life Insurance Corporation Regulations, 1959, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Board, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);
- (b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (c) “Company Secretary” shall mean a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India, constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and who is the head of the secretarial function of the Corporation;
- (d) “Depositories Act” means the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);

- (e) “Depositories and Participants Regulations” means the regulations made by the Securities and Exchange Board of India regarding depositories and participants, under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act;
 - (f) “draft offer document” means the draft offer document filed with the Securities and Exchange Board of India in relation to a public issue under the regulations made by the Securities and Exchange Board of India regarding issue of capital and disclosure requirements;
 - (g) “embedded value” shall have the same meaning as is assigned to it in the Actuarial Practice Standard, issued by the Institute of Actuaries of India constituted under section 3 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), for determination thereof in respect of life insurance companies incorporated in India and regulated by the Authority;
 - (h) “form” means a form annexed to these regulations;
 - (i) “registrar to an issue” shall have the same meaning as is assigned to it in the regulations made by the Securities and Exchange Board of India regarding registrar to an issue and share transfer agent;
 - (j) “section” means section of the Act;
 - (k) “Securities and Exchange Board of India” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (l) “share transfer agent” shall have the same meaning as is assigned to it in the regulations made by the Securities and Exchange Board of India regarding registrar to an issue and share transfer agent.
- (2) All other words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART I

Meetings of the Board and its committees

3. Manner of holding meetings of Board and its committees.—(1) In respect of meetings of the Board, the Chairperson and in his absence the senior-most whole-time director of the Corporation, and in respect of meetings of any committee of the Board such person as the Board has appointed as the chairperson of the committee shall, fix the date, time and place of meetings of the Board or its committee, as the case may be, and approve the items of agenda therefor.

(2) Notice for meetings shall be issued by the Company Secretary or, if there is no Company Secretary, any director or any other officer of the Corporation authorised by the Board in this behalf.

(3) The Chairperson, and in his absence the senior-most whole-time director present, shall chair a Board meeting.

(4) The chairperson of a committee of the Board shall chair its meetings:

Provided that in the absence of the chairperson, any other director chosen by the members present at the meeting from amongst themselves shall chair the meeting.

(5) The Corporation shall observe in respect of the Board and its committees such secretarial standards as are applicable in respect of Board meetings of a company under sub-section (10) of section 118 of the Companies Act, save as otherwise provided for in the Act, the rules and regulations made thereunder.

PART II

Capital, shares, other securities and members of the Corporation

4. Kinds and nature of share capital.—The share capital of the Corporation shall be of such kinds as are provided for in respect of a company in section 43 of the Companies Act in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder:

Provided that the provisions of sub-clause (ii) of clause (a) of the said section shall not apply in respect of the share capital of the Corporation.

5. Nature of shares and debentures.—The shares, debentures and other interest of any member in the Corporation shall be movable property transferable in the manner provided in regulation 11.

6. Manner of issue of securities.—(1) The Corporation may issue securities either in physical form or in dematerialised form in accordance with the provisions of the Depositories Act and the Depositories and Participants Regulations.

(2) Where the Corporation issues any securities in physical form, the issuance of such securities shall be in accordance with the requirements as the Board may specify in this behalf, including as to the authority for issuance of security, its form, the manner of signing of the certificate on behalf of the Corporation, printing and custody of blank certificates and process for issuance of duplicate certificate.

(3) The Corporation shall appoint a registrar to an issue or a share transfer agent and shall enter into a tripartite agreement with the registrar to an issue or the share transfer agent, as the case may be, and a depository, in respect of the securities to be issued in dematerialised form

7. Other provisions regarding manner of and conditions subject to which shares may be issued.—(1) The Corporation shall issue equity shares to the Central Government in consideration for the paid-up equity capital provided by the Central Government to the Corporation, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 5.

(2) The Corporation may from time to time increase its issued share capital, with the previous approval of the Central Government, by way of public issue or rights issue or preferential allotment or private placement or issue of bonus shares to existing members holding equity shares, or by issue of shares to employees pursuant to share based employee benefits schemes, or by issue of shares to life insurance policyholders of the Corporation, or otherwise, in accordance with the provisions of section 5.

Provided that bonus shares may be issued by the Corporation to its members only out of its free reserves or the share premium account, and no issue of bonus shares shall be made by capitalising reserves created by the revaluation of assets:

Provided further that if the Corporation proposes to make a public issue of equity shares, it shall, before filing its draft offer document with the Securities and Exchange Board of India, request the Authority for its observations, if any (supported by a certified copy of the Board resolution in this regard), while furnishing on the following aspects the details specified in respect of the same in the form as provided for an applicant Indian insurance company transacting life insurance business under insurance regulations on issuance of capital, namely:—

- (a) its overall financial position, pre- and post-issue capital structure and embedded value as assessed by an independent actuary;
- (b) its record on maintenance of control level of solvency required under regulations made by the Authority and on policyholder protection;
- (c) its record of compliance with insurance regulations, as applicable to the Corporation;
- (d) the status of compliance with public disclosure requirements under any circular of the Authority in this regard, insofar as such circular is applicable to the Corporation:

Provided also that while filing the draft offer document with the Securities and Exchange Board of India, the Corporation shall—

- (i) take into account the observations, if any, issued by the Authority, with a view to ensure that the disclosures therein are in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India in this behalf;
- (ii) make therein such other disclosures regarding risk factors specific to the Corporation, particulars of its committees, key management persons, investors, promoters and financial statements, particulars of the issue, overview of the insurance industry, industry related terms and legal and other information, as are specified in insurance regulations for issuance of capital in respect of an Indian insurance company transacting life insurance business.

8. Calls on shares and acceptance of unpaid share capital not called up.—The Corporation may, with the approval of the Board, make calls upon a member for further share capital in respect of any amount remaining unpaid on shares held by him and also accept from him the whole or part of such amount even if the amount has not been called up, in accordance with the provisions as applicable in respect of a company under sections 49 and 50 of the Companies Act and model articles 13 to 18 specified in Table F of Schedule I to the said Act, read with sub-sections (6) and (7) of section 5 thereof.

9. Manner of nomination by member.—Members may make nomination referred to in section 5E in the manner provided for nomination by the security holders of a company in rules made under section 72 of the Companies Act with regard to share capital and debentures, in Form 'A', and variation therein or cancellation thereof may be made in Form 'B'.

10. Forfeiture of share.—A share of a member who fails to pay any call or instalment thereof on the day appointed for its payment may be forfeited and sold or otherwise disposed of by the Board in like circumstances and in like manner, and subject to like conditions, as are provided for shares of a company under model articles 28 to 34 specified in Table F of Schedule I of the Companies Act, read with sub-sections (6) and (7) of section 5 thereof.

11. Transfer or transmission or transposition of securities.—(1) For carrying out activities in relation to transfer of securities, the Corporation shall appoint a share transfer agent or manage the transfer of securities' facility in-house:

Provided that in the case of in-house securities transfer facility, as and when the total number of holders of securities of the Corporation exceeds one lakh, the Corporation shall appoint a person, who is registered with the Securities and Exchange Board of India, as the registrar to an issue and share transfer agent of the Corporation.

(2)The Board may delegate the power of transfer of securities to a committee or to the compliance officer of the Corporation or to the registrar to an issue or share transfer agent:

Provided that the Board or such committee or officer or registrar or agent shall attend to the formalities pertaining to transfer of securities at least once in a fortnight:

Provided further that the committee or officer or registrar or agent, as the case may be, shall report to the Board or its committee on transfer of securities in each meeting thereof.

(3) The transfer and transmission of securities of the Corporation shall be carried out in like manner as is provided therefor in respect of a company in sub-sections (1) to (5) of section 56 of the Companies Act:

Provided that the instrument of transfer for such transfer shall be executed by or on behalf of the transferor and the transferee in such form as may be specified by the Board.

(4)The Corporation shall not register a transfer of partly paid shares unless it has given notice to the transferee in the form as may be specified by the Board and the transferee has conveyed within two weeks from the date of receipt of the notice that he has no objection to such transfer.

12. Manner of keeping and maintaining registers.—The Corporation shall maintain the registers referred to in sub-section (1) of section 5B in respect of its members in Form ‘C’ and in respect of debenture holders or security holders in Form ‘D’, in like manner as is provided for such security holders of a company in rules made under section 88 of the Companies Act with regard to management and administration of companies, including in respect of the index of names to be included and authentication of entries in such registers, and the closure, inspection and supply of copies thereof:

Provided that separate registers shall be maintained for members and for the holders of each type of debentures or other securities.

13. Dividend.—The Corporation shall pay dividend in proportion to the amount paid-up on each share.

PART III

Miscellaneous

14. Manner and form in which contracts binding on the Corporation may be executed.—(1) Contracts made on behalf of the Corporation shall be made in writing, signed by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged.

(2) All contracts made according to the provisions of this regulation shall be valid and binding on the Corporation.

15. Accounts, receipts and documents of the Corporation by whom to be signed.—The whole-time directors, Company Secretary, and the head of the finance function of the Corporation as the Board may authorise in this behalf, and such other officers of the Corporation as the Chief Executive may authorise in this behalf, may, to such extent and subject to such limitations, if any, as may be specified or imposed in so authorising, for and on behalf of the Corporation,—

- (a) endorse and transfer promissory notes, stock-receipts, stocks, debentures, shares, securities and documents of title to goods, standing or held in the name of the Corporation or held by it;
- (b) draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the Corporation;
- (c) issue insurance policies; and
- (d) sign all accounts, receipts and documents connected with the aforesaid.

16. Plaints etc., by whom to be signed.—Plaints, written statements, rejoinders, complaints, petitions, applications, affidavits, vakalatnamas and all other documents connected with legal proceedings may be signed, verified and presented before any court, tribunal or authority on behalf of the Corporation by any officer empowered by or under regulation 15.

17. Use of electronic records and electronic signature.—For the purposes of these regulations, any requirement of—

- (a) making, varying or discharging a contract, or making, varying or cancelling a nomination, or giving of notice, or maintaining a register, or executing an instrument of transfer or other document shall be satisfied if the same is made, varied or discharged, or maintained or given or executed, as the case may be, in the form of an electronic record as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (b) a person signing a contract, a form for nomination or for the variation or cancellation thereof, register, instrument or transfer or document shall be satisfied if he affixes thereon his electronic signature as defined in the Information Technology Act, 2000.

Form 'A'**Nomination by member**

[See regulation 9]

Life Insurance Corporation of India 'Yogakshema', Central Office Mumbai – 400 021	Shares	Folio number	Number of shares	Certificate number	Distinctive number
		Date:	D D M M Y Y	Y Y	Y Y

<input type="checkbox"/> I/we wish to make a nomination as per details given below:

Nomination details

I/we wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights and/or amount payable in respect of shares held by me/us shall vest in the event of my/our death:

[Nomination can be made for upto three nominees in the account]		1 st nominee	2 nd nominee	3 rd nominee
1	Name of nominee (Mr/Ms):			
2	Relationship (if any) with the applicant:			
3	Share of each nominee: <input type="checkbox"/> Equal	%	%	%
	[If not equal, please specify percentage]	[Any odd lot after division shall be transferred to the first nominee mentioned in the form]		
4	Address of nominee:			
	City/town/village:			
	PIN code:			
	State:			
	Country:			
5	Details of nominee:			
	Telephone number (Res.) / (Off):			
	Occupation:			
	Mobile number:			
	Email address:			
Nominee identification details:				

[Please tick any one of the documents mentioned below and provide details of the same]

	Nominee 1	Nominee 2	Nominee 3
Photograph, with signature across it:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Signature:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Income-tax Permanent Account Number (PAN):			
<input type="checkbox"/> Aadhaar number:			
<input type="checkbox"/> Saving bank account number:			
<input type="checkbox"/> Proof of identity:			
<input type="checkbox"/> Demat account ID:			

Sr. No. 6 to 11 should be filled for guardian details only if nominee is a minor:

6	Date of birth (in case of minor nominee):		
7	Name of guardian (Mr/Ms):		
8	Relationship of guardian with nominee:		
9	Address of guardian:		
	City/town/village:		
	PIN code:		
10	Contact details of guardian:		
	Telephone number (Res.) / (Off.):		
	Mobile number:		
	Email address:		
11	Guardian identification details:		

[Please tick any one the documents mentioned below and provide details of the same]

	If 1 st nominee is minor	If 2 nd nominee is minor	If 3 rd nominee is minor
Photograph, with signature across it:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Signature:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Income-tax Permanent			

<input type="checkbox"/>	Account Number (PAN):		
<input type="checkbox"/>	Aadhaar number:		
<input type="checkbox"/>	Saving bank account number:		
<input type="checkbox"/>	Proof of identity:		
<input type="checkbox"/>	Demat account ID:		

	Name	Signature
Sole/first holder, or the guardian (in case holder is minor)(Mr/Ms)		
Second holder, or the guardian (in case holder is minor) (Mr/Ms)		
Third holder, or the guardian (in case holder is minor) (Mr/Ms)		
Details regarding witness for the nomination:		
Name	Address	Signature
	Date:	D D M M Y Y Y Y

Form 'B'
Variation/cancellation of nomination
[See regulation 9]

Life Insurance Corporation of India ‘Yogakshema’, Central Office Mumbai – 400 021	Shares	Folio number	Number of shares	Certificate number	Distinctive number
	Date:		D D M M Y Y		Y Y

I/we wish to—

- make a new nomination as per details given below:
- cancel a nomination [Strike off the nomination details below]:

On cancellation, all rights and liabilities in respect of the shares held by me/us shall vest in me/us.

Nomination details

I/we wish to make a new nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights and/or amount payable in respect of shares held by me/us shall vest in the event of my/our death:

[Nomination can be made for up to three nominees in the account]		1 st nominee	2 nd nominee	3 rd nominee
1	Name of nominee (Mr/Ms):			
2	Relationship (if any) with the applicant:			
3	Share of each nominee:	<input type="checkbox"/> Equal	%	%
	[If not equal, please specify percentage]	[Any odd lot after division shall be transferred to the first nominee mentioned in the form]		
4	Address of nominee:			
	City/town/village:			
	PIN code:			
	State:			
	Country:			
5	Details of nominee:			
	Telephone number (Res.) / (Off):			
	Occupation:			
	Mobile number:			
	Email address:			

Nominee identification details:

[Please tick any one of the documents mentioned below and provide details of the same]

		Nominee 1	Nominee 2	Nominee 3
<input type="checkbox"/>	Photograph, with signature across it:			
<input type="checkbox"/>	Signature:			
<input type="checkbox"/>	Income-tax Permanent Account Number (PAN):			
<input type="checkbox"/>	Aadhaar number:			
<input type="checkbox"/>	Saving bank account number:			
<input type="checkbox"/>	Proof of identity:			
<input type="checkbox"/>	Demat account ID:			

Sr. No. 6 to 11 should be filled for guardian details only if nominee is a minor:

6	Date of birth (in case of minor nominee):			
---	--------------------------------------------------	--	--	--

7	Name of guardian (Mr/Ms):			
8	Relationship of guardian with nominee:			
9	Address of guardian:			
	City/town/village:			
	PIN code:			
10	Contact details of guardian:			
	Telephone number (Res.) / (Off.):			
	Mobile number:			
	Email address:			
11	Guardian identification details: [Please tick any one the documents mentioned below and provide details of the same]			

	If 1 st nominee is minor	If 2 nd nominee is minor	If 3 rd nominee is minor
<input type="checkbox"/> Photograph, with signature across it:			
<input type="checkbox"/> Signature:			
<input type="checkbox"/> Income-tax Permanent Account Number (PAN):			
<input type="checkbox"/> Aadhaar number:			
<input type="checkbox"/> Saving bank account number:			
<input type="checkbox"/> Proof of identity:			
<input type="checkbox"/> Demat account ID:			

	Name	Signature
Sole/first holder, or the guardian (in case holder is minor) (Mr/Ms)		
Second holder, or the guardian (in case holder is minor) (Mr/Ms)		
Third holder, or the guardian (in case holder is minor) (Mr/Ms)		
Details regarding witness for the nomination:		

Name	Address	Signature							
		D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
	Date:								

Form 'C'**Register of members**

[See regulation 12]

(To be maintained separately for each class of shares)

Central Office address:

Class of shares (equity/preference/other):

Nominal value per share (in Rupees):

Total shares held:

Folio number:

Personal details:

Name of the member:

Name(s) of other joint holders, if any:

Address (or, in the case of a body corporate, its registered address):

Email address:

CIN / Registration number:

Unique identification number:

Father's/mother's/spouse's name:

Category of shareholder:

Occupation:

Income-tax Permanent Account Number (PAN):

Nationality:

In case the member is a minor:

Name of the guardian:

Date of birth of the minor:

Details of membership:

Date of becoming member:

Date of declaration under section 5C of the Life Insurance Corporation Act, 1956, if applicable:

Name and address of beneficial owner:

Name and address of significant beneficial owner:

Date of receipt of nomination, if applicable:

Name and address of nominee:

Number of shares kept in abeyance, if applicable:

Record of lien on shares, if applicable:

Date of cessation of membership:

Instructions:

Particulars of dividend mandates, power of attorney and other instructions, if any:

Instruction for sending notices etc., if any:

Details of shareholding:

Allotment number / Transfer	Date of allotment/ transfer	Number of shares allotted/	Distinctive numbers (both inclusive)	Folio of transferor, if applicable	Name of the transferor, if applicable

number		transferred	From	To		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)

Date of issue or endorsement of share certificate	Certificate number	Lock-in period, if any	Amount (Rs.)			If shares are issued for consideration other than cash, brief particulars thereof
			Payable	Paid / Deemed to be paid	Due	
(7)	(8)	(9)	(10)			(11)

Date of transfer/transmission/forfeiture/redemption etc.	Number of shares transferred/transmitted/forfeited/redeemed etc.	Distinctive numbers (both inclusive)		Folio of transferee	Name of transferee
		From	To		
(12)	(13)	(14)		(15)	(16)

Balance shares (after transfer/transmission/forfeiture/redemption etc.)		Remarks	Authentication / signature
(17)		(18)	(19)

Form 'D'

Register of debenture holders or other securities holders

[See regulation 12]

(To be maintained separately for each class of debentures or other securities)

Central office address:

Class of debentures or other securities:

Nominal value per unit (in Rs.):

Total number of debentures or other securities held:

Folio number:

Personal details:

Name of the debenture holder/other security holder:

Name of joint holder(s), if any:

Address (or, in the case of a body corporate, its registered address):

Email address:

Income-tax Permanent Account Number (PAN):

CIN/ Registration number:

Unique identification number:

Father's/mother's/spouse's name:

Occupation, if any:

Nationality:

In case debenture holder/other security holder is a minor:

Name of guardian:

Date of birth of minor:

Details of holding:

Date of becoming holder of debentures / other securities:

Date of receipt of nomination:

Name and address of nominee:

Number of debentures / other securities kept in abeyance, if any:

Record of lien on debentures / other securities, if any:

Date of cessation as holder of debentures / other securities:

Details of security:

Whether repayment of the debentures / other securities is secured [Yes / No]:

Brief particulars of the assets to secure such debentures / other securities:

Instructions:

Particulars of interest mandates, power of attorney and other instructions, if any:

Instruction for sending notices of class meetings, etc., if any:

Details of debentures / other securities:

Allotment number / Transfer number	Date of allotment/ transfer	Number of debentures / other securities allotted/ transferred	Distinctive numbers (both inclusive)		Folio of transferor, if applicable	Name of the transferor, if applicable
			From	To		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)

Date of issue or endorsement of certificate	Certificate number	Amount (Rs.)			If debentures / other securities issued for consideration other than cash, brief particulars thereof
		Payable	Paid / Deemed to be paid	Due	
(7)	(8)	(9)			(10)

Date of transfer/ transmission/ forfeiture/ redemption of securities	Number of units transferred/transmitted/ forfeited/redeemed	Distinctive numbers (both inclusive)		Folio of transferee	Name of transferee
		From	To		
(11)	(12)	(13)		(14)	(15)

Balance units left (after transfer/transmission/ forfeiture/redemption etc.)	Remarks	Authentication / signature
(16)	(17)	(18)

MUKESH KUMAR GUPTA, Managing Director)

[ADVT.-III/4/Exty./161/2021-22]